न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः—340 / 2016 (2016 / 00340)225 / अजमेर

1. श्रीमती धापू बेवा स्व. मंगल सिह
2. विजय सिंह पुत्र स्व.मगल सिंह जाति रावत निवासी ग्राम मदारपुरा तहसील व जिला अजमेर ।
3. श्रीमती गंगा देवी पत्नि गोम सिंह रावत
4. हरि सिंह पुत्र गोम सिंह रावत
5. श्रीमती लीलादेवी पत्नि हरिसिंह रावत

अपीलांटस

बनाम

1. गोपाल कांकाणी पुत्र स्व0श्री बालूराम काकांणी जाति माहेश्वरी निवासी ग्राम मकरेड़ा तहसील पींसागन जिला अजमेर का जरिये मुख्त्यारआम सुरेश जिन्दल पुत्र स्व.श्री इन्द्र प्रकाश जिन्दल जाति अग्रवाल निवासी मकान नम्बर 184, सदर बाजार नसीराबाद जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,अजमेर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 09.07.2016, प्रकरण सख्या 77 / 2012.

उपस्थितः—

1. श्री खड़ग सिंह एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री श्याम कृष्ण पारीक एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01की ओर से ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 24.12.2018

01. अपीलांट ने यह अपील सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के प्रकरण सख्या 77 / 2012 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपीलांट के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया तथा वाद के कथन अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को प्रस्तुत कर अपीलांट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय),अजमेर ने दिनांक 03.08.2011 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में एक तरफा तौर पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर विवादित आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखनें तथा किसी प्रकार का परिवर्तन आदि नहीं करने व कराने हेतु अपीलांट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अभिभाषक ने उनकी ओर से वकालतनामा पेश किया एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी के अपीलांटस खातेदार काश्तकार हैं तथा आराजी पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपीलांटस का ही कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.08.2011 को वादी की एक पक्षीय बहस सुनकर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई थी तथा अस्थायी निषेधाज्ञा का जवाब अपीलांट ने दिनांक 30.1.2013 को पेश कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट का किसी प्रकार से प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता हैं तथा ना ही उनका कोई कब्जा काश्त नही रहा हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा क्लैम किये गये फर्जी बैनामा दिनांक 25.07.1966 के आधार पर विपक्षी को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि पत्रावली पूर्व में रसूलपुरा कैम्प में दिनांक 13.06.2016 को पेश की गई थी उसमें कोई राजीनामा न होने के कारण आगामी पेशी दिनांक 12.08.2016 नियत की गई व दिनांक 12.08.2016 से पूर्व ही बिना किसी नोटिस के पत्रावली दिनांक 09.07.2016 को घूघरा कैम्प में नियत कर अपीलांट की अनुपस्थिति में ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म कर दिया हैं, जो विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2016 को अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म करने के आदेश दिये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है, जो विधि सम्मत नही हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.07.2016 को निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.बी.जे. (13)–2006 पेज 21, आर.आर.डी. 1994 पेज 326, आर.आर.डी. 1984 पेज 111, आर.आर.डी. 1985 पेज 30 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब प्रार्थना में कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 25.07.1966 को ग्राम मदारपुरा तहसील अजमेर में स्थित आराजी खाता संख्या 9 के खसरा नम्बर 388 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 389 रकबा 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 436 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा 10बिस्वांसी व खसरा नम्बर 437 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 385 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी कुल किता 5 कुल रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा को मूल खातेदार कामड पुत्र लूम्बा जाति रावत से खरीद किया हैं जिसके मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा पुराने 388 व 389 के नये खसरा नम्बर 600 व पुराने खसरा नम्बर 436 के नये खसरा नम्बर 647, पुराने खसरा नम्बर 437 के नये खसरा नम्बर 646 तथा पुरोन खसरा नम्बर 385 के नये खसरा नम्बर 596 बने है को क्रय किया है तथा 30 वर्षो से अधिक पुराने दस्तावेज है जिसे आज तक किसी भी व्यक्ति ने चुनौती नही दी हैं ना ही न्यायालय द्वारा निरस्त करवाया गया हैं जिसके आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के नियम 141 के तहत् पंजीजन के दिन ही उप–पंजीयक, अजमेर द्वारा उपरोक्त आराजी के बेचान की सूचना तहसलदार, अजमेर को प्रेषित करने व बेचान के अनुसार राजस्व अभिलेख में जमाबंदी में क्रेता का नाम अंकन दर्ज किये जाने हेतु सम्बन्धित पटवारी हल्का को निर्देश दिये जाकर इन्द्राज दुरूस्त करवाया जाना आवश्यक था, जिसके अभाव में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज बने रहने से अप्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 01, 02 ने मिलीभगत से विरासत नामान्तकरण संख्या 58 दिनांक 25.1.1991 व नामान्तकरण संख्या 142 दिनांक 13.02.2006 से अंकन अपने नाम करवाकर अनुचित लाभ के लिए दुबारा बेचान प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को कर दिया जिसके लिए उन्हे कोई विधि अधिकार प्राप्त नहीं था। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पक्ष में किये गये अवैध, प्रभावहीन, शून्य बेचान विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण संख्या 360 दिनांक 05.07.2011 तस्दीक कर किया गया अंकन त्रूटिपूर्ण हैं। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 मौके पर आकर प्रार्थी/वादी को धमकी देते हैं इसलिए वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई तथा साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञ पेश कर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को जरिये पाबंद किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत आदेश पारित करते हुए विवादित आराजी बाबत् राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने तथा किसी प्रकार से परिवर्तन आदि नही करने एवं ना ही कराने के आदेश दिनांक 03.08.2011 को दिये है जिसे दिनांक 09.7.2016 को कन्फर्म किया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट का विवादित आराजी पर क्रय के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं तथा अपीलांटस द्वारा पुनः बेचान किया गया हैं वह अवैध, प्रभावहीन, शून्य बेचान विक्रय पत्र हैं जो विधि द्वारा मान्य नही है। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु क्रमशः प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में हैं। इसलिए न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने पक्ष में 2018 आर.बी.जे. पेज 513, आर.आर.डी. 1979 पेज01 एवं मान्नीय कर्नाटक हाई कोर्ट के सिघंल बैंच के निर्णय दिनांक 07.06.2010 बउनवानी श्रीमती उषा सेठी बनाम एन.वी.राजाचारी वगैरह की प्रति प्रस्तुत की है।

6. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष पर मनन किया गया। बाद मनन अधीनस्थ न्यायालय तत्कालिन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने प्रार्थी संख्या 1/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 गोपाल कांकाणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर दिनांक 03.08.2011 को यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की कि– ग्राम मदारपुरा अजमेर स्थित आराजी खाता नम्बर 9 के खसरा नम्बर 388 रकबा 01–14–00, व खसरा नम्बर 389 रकबा 0–10–0 तथा खसरा नम्बर 436 रकबा 01–8–10 व 437 रकबा 01–07–0, खसरा नम्बर 385 रकबा 1–06–10 कुल किता 5 कुल रकबा 06–05–00 के नये खसरा नम्बर 388, 389 के नये खसरा नम्बर 60 तथा पुराने 436 के नये 647 व पुराने खसरा नम्बर 437 के नये 646 एवं पुराने 385 के नये 356 के आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथस्थिति बनाये रखे तथा किसी प्रकार से परिवर्तन आदि नही करें तथा ना ही करावें " तथा दिनांक 09.07.2016 को राजस्व कैम्प घूघरा में उक्त अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया गया हैं तथा अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि प्रार्थना पत्र में पेशी दिनांक 13.06.2016 को आगामी पेशी 12.08.2016 नियत की गई थी तथा अपीलांट को बिना नोटिस दिये प्रकरण को नियत दिनांक से पूर्व दिनांक 09.07.2016 को राजस्व कैम्प घूघरा में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म कर दिया गया हैं इसलिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड की यथस्थिति बनाये रखे तथा किसी प्रकार से परिवर्तन आदि नही करें तथा ना ही करावे के आदेश दिये है जिससे अपीलांटस का किसी प्रकार प्रथमदृष्टया क्षति उत्पन्न नही होती हैं। यदि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है और उसी दौरान विवादित आराजी का बेचान हो जाता हैं तो प्रकरण में वाद की बाहुल्यता बढ़ेगी एवं प्रथम दृष्टया क्षति रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को ही होगी। विवादित आराजी बाबत् हक व हकूक तो मूल वाद में बाद साक्ष्य व सुनवाई किये जाने बाद ही तय होगें। प्रकरण की इन परिस्थितियों के मध्यनजर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में होना पाये जाते हैं। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य हैं।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्धान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर का आदेश दिनांक 09.07.2016 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

08. आदेश आज दिनाक 24.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर